

मु० नम्बर.....किस्म.....

.....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

07/25

पत्रावली पेश है
राजकार्य में बाधा पत्रावली पेश की पेश है
दिनांक 23-12-25

पत्रावली
के मध्य राजीनामा
होना चाहिए
यदि पत्रावली पेश
है
अज्ञान से
पत्रावली पेश

19/8/25 आज यह पत्रावली वकील सापलात
के शीघ्र सुनवाई के उर्षण पत्र पर
तलब की गई। वकील सापलात ने अवरगत
कराया कि पत्रावली के मध्य राजीनामा हो
गया है। इसलिए सापलात उक्त उर्षण
पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं तथा इसी
स्टेज पर उक्त प्रकरण को Not Press में
स्वामिज कराना चाहते हैं।

आर: मुकदमा नं: 69/2019 इनवानी
वृजपोहन वजे वनाप सत्प्रकाश वजे 0 प्रवर्तिता
पत्र अलवाई निवेदाज्ञानी Not Press में
स्वामिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण
में दिनांक 20/06/2019 को जारी अन्तिम
स्वगत आदेश बिद्दो किये जाते हैं।
पत्रावली फैसल सुमाट होकर बाद वकील
नमाल के कम की जाकर मूल दावा के साथ
शामिल मिसल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कौली)

विशेषीय अधिकारी / मुकदमा नं: 69/2019
उपखण्ड न्यायालय / हिण्डौन सिटी (कौली)
दिनांक 07/12/25